न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 13/2025 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
खेराजराम पुत्र चिमाराम जाति जाट, निवासी पांचोणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. भोमाराम पुत्र डलाराम 3. मलाराम पुत्र डलाराम 4. राजूराम पुत्र डलाराम 5. हीरोदेवी पत्नी छमाराम उर्फ चिमाराम – फौत जाति जाट, निवासी पांचोणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 4 – श्री जेठाराम कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 23.07.2025

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा डलानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 450/347 रकबा 5.4552 हैक्टेयर आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण को पुर्व पुरूष चिमाराम पुत्र खेताराम के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। वादी की पिता के देहांत के समय वादी स्वयं के नाबालिग होने पर वादी के रिश्तेदारों द्वारा वादी का विरासती नामांतरकरण पारित करवाया गया जिसमें वादी का अशुद्व नाम भेराराम पुत्र छमाराम तथा वादी की माता का नाम हीरो पत्नी छमाराम का अंकन करवा दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम खेराजराम पुत्र चिमाराम है तथा वादी की माता का सही एवं वास्तविक नाम हीरो पत्नी चिमाराम है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए है। वर्तमान में वादी एवं वादी की माता का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से उसे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वर्तमान में वादी की माता फौत होने के बावजूद गलत नाम दर्ज होने से उनका विरासती नामांतरकरण पारित नहीं हो पा रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ई–श्रम कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी आदि में उनका सही एवं वास्तविक नाम खेराजराम पुत्र चिमाराम दर्ज है। साथ ही उनकी अन्य खातेदारी भूमि मौजा पांचाणियों की ढाणी, तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 627 व 760/628 में वादी का सही नाम खेराजराम पुत्र चिमाराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में स्वयं तथा अपनी माता के सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम भेराराम पुत्र छमाराम के स्थान पर सही नाम खेराजराम पुत्र चिमाराम तथा हीरो पत्नी छमाराम के स्थान पर सही नाम हीरो पत्नी चिमाराम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से जरिये अधिवक्ता सहमति जवाबदावा पेश कर नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रकट की गई है। वादी के नाम दुरस्ती के संबंध में तहसीलदार शिव से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम भेराराम पुत्र छमाराम के स्थान पर सही नाम खेराजराम पुत्र चिमाराम तथा हीरो पत्नी छमाराम के स्थान पर सही नाम हीरो पत्नी चिमाराम होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भेराराम पुत्र छमाराम तथा वादी की माता का नाम हीरो पत्नी छमाराम दर्ज है, जबकि वादपत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, राशन कार्ड आदि में वादी का नाम खेराजराम पुत्र चिमाराम दर्ज है। वादपत्र के संलग्न वादी व प्रतिवादीगण की अन्य खातेदारी भूमि मौजा पांचाणियों की ढाणी, तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 627 व 760/628 में भी वादी का सही नाम खेराजराम पुत्र चिमाराम दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा भी इकबाली जवाबदावा पेश कर नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र से भी वादी का नाम भेराराम पुत्र छमाराम के स्थान पर खेराजराम पुत्र चिमाराम तथा अपनी माता का नाम हीरो पत्नी छमाराम के स्थान पर हीरो पत्नी चिमाराम किये जाने का निवेदन किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भेराराम पुत्र छमाराम के स्थान पर खेराजराम पुत्र चिमाराम तथा वादी की माता का नाम हीरो पत्नी छमाराम के स्थान पर हीरो पत्नी चिमाराम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा डलानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 450/347 रकबा 5.4552 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम भेराराम पुत्र छमाराम के स्थान पर खेराजराम पुत्र चिमाराम तथा वादी की माता का नाम हीरो पत्नी छमाराम के स्थान पर हीरो पत्नी चिमाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:51:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव